15/6/2022	पत्रावली पेश की। अधिवक्ता वादी अनुपस्थित आवाज लगाया गया है। अधिवक्ता वादी अब तक ताड़ी स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं न ही
2013 / 00760	प्रतिवादी 1, 13, 15 की तामील 314 से 316 की तामील एवं मृतक प्रतिवादी के कायम हेतु कोई कार्यवाही गई है। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्कल में
	कार्य होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.06.27 16:08:51 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)